

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा-25 के तहत् राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-2

- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3(ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियम 3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।